न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 80/17 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. शरीफ पुत्र सलेम जाति मेव

2. रफीक पुत्र सलेम जाति मेव

3. इकबाल पुत्र सलेम जाति मेव निवासीयान ग्राम डभेडा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:------ प्रतिवादी अपीलांटस

बनाम

1 बलवंत पुत्र हजारी लाल जाति अहीर निवासी ग्राम डभेडा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:---- वादी असल रेस्पो0

2 तहसीलदार लैंड होल्डर तहसील तिजारा जिला अलवर

3 प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा ईशरोदा तहसील तिजारा

:---- प्रतिवादी तकमीली रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,तिजारा दिनांक 3.10.2016

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अशोक कुमार सैनी

2. वकील असल रेस्पो0 :– श्री विनोद शर्मा

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय दिनांक 23.02.2021

---- ----------

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा राजस्व वाद संख्या 400/15 में पारित निर्णय दिनांक 3.10.2016 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद अंतिम तौर पर डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में आराजी खसरा नम्बर 352 रकबा 95 एयर वाके ग्राम डभेडा तहसील तिजारा की बाबत तकासमा का वाद प्रस्तुत किया था, जिसे तहत अदालत द्वारा कुर्रे रिपोर्ट प्राप्त कर अंतिम तौर पर डिक्री किया गया है । जिसके खिलाफ प्रतिवादी ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट प्रतिवादी का कथन है कि हमारी तहत अदालत में सम्यक रूप से तामील नहीं कराई गई थी । इसलिये अपीलाधीन निर्णय की समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । जानकारी के अभाव में हुई देरी को माफ किया जावे । विद्वान वकील ने आगे तर्क दिये कि हमारी सम्यक रूप से तामील नहीं हुई थी । हम तहत अदालत में उपस्थित नहीं हुये थे, परन्तु वादी ने हमारी ओर से फर्जी वकील खडा करके निर्णय पारित करवा लिया । कुर्रेजात रिपोर्ट मौके पर जाकर नहीं बनाई गई है । साजबाज होकर गलत रिपोर्ट बनाई गई है । विवादित भूमि का बटवारा बहुत पहले ही हो गया था और उस बटवारे के अनुसार हमारा कब्जा खसरा नम्बर 352 के उत्तरी पूर्वी कोने पर चला आ रहा है । हमारा एक चौथा भाई हनीफ भी है, जिसका भी आराजी में हिस्सा है, परन्तु उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है । असल रेंस्पो0 संख्या 01 ने आराजी को हमारे परिवारजन से ही खरीदा था और हमारे परिवारजन जहां काबिज थे, उसी स्थान पर असल रेस्पो0 को कब्जा दिया गया था । विभाजन करने में विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में 2015 आर0 आर0 डी0 पेज 739, 2013 आर0 आर0 डी0 पेज 714 व 2016 आर0 आर0 डी0 पेज 409 का हवाला दिया ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

4 जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0 संख्या 01 का कथन है कि यह अपील मियाद बाहर है । इसलिये मियाद बिन्दू पर ही अपील खारिज की जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि कुर्रेजात रिपोर्ट रिकार्ड एवं मौका अनुसार सही बनाई गई है । अपीलांट के चौथे भाई मौहम्मद हनीफ का नाम शीर्षक में टाईपिंग की गलती से सहवन से टंकित होने से रह गया था । इसलिये मैंने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेथ 6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना प्रस्तुत कर मौहम्मद हनीफ का नाम बतौर प्रतिवादी नम्बर 04 जोडने हेतु निवेदन किया था और उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार भी कर लिया गया था । परन्तु निर्णय के शीर्षक में उसका नाम टंकित होने से रह गया था, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है । प्राथमिक डिक्री पारित करने में इनकी सहमति थी । विभाजन में विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पूर्णतया पालना की गई है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्को पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिये । अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में नरम रूख अपनाया जाकर देरी को कंडोन किया जाता है ।

6 इसके पश्चात प्रकरण की मेरिटस पर गौर किया । हम यहां तकासमा के प्रकरण का निस्तारण कर रहे हैं । जिसके लिये हमे यह देखना है कि तहत अदालत द्वारा विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना की गई है अथवा नहीं । कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 27.9.16 का अवलोकन किया तो पाया कि यह रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तहसीलदार के आदेश से मौके पर जाकर बनाई गई है । स्वयं तहसीलदार मौके पर नहीं गया है । जबकि विभाजन के नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि कुर्रे कायमी हेतु स्वयं तहसीलदार को मौके पर जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त यह रिपोर्ट पक्षकारान की मौजूदगी में नहीं बनाई गई है । तकासमा के वाद में सभी सह खातेदार आवश्यक पक्षकार होते हैं । मौहम्मद हनीफ सह खातेदार है, परन्तु उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है । हालांकि वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 प्रस्तुत कर मौहम्मद हनीफ को प्रतिवादी नम्बर 04 के तौर पर दर्ज करने का निवेदन किया था, परन्तु इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया । यहां यह तथ्य भी गौरतलब है कि तहत अदालत की पत्रावली में प्रतिवादी अपीलांट के तामीलशुदा समन संलग्न नहीं है परन्तु प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है, जो संदेह पैदा करता है कि जब प्रतिवादी की तामील ही नहीं हुई तो फिर उनकी ओर से वकालतनामा कैसे आ गया । अपीलांट प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोथनी में यह सिद्ध है कि विभाजन करने में विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना नहीं हुई है । लिहाजा इन नियमों के तहत पुनः निर्णय पारित करने हेतु हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंथिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 3.10.2016 को निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत अदालत को रिमांड कर आदेशित किया जाता है कि वो सहखातेदार मौहम्मद हनीफ को पक्षकार बनाकर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 में दिये गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 23.03.21 को उपस्थित हों ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर